सं0– 326 /IV(2)-श0वि0–09–212(सा0)/05टी.सी.

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक– 26 फरवरी, 2009

विषय : नगर पालिका परिषद, भवाली के अन्तर्गत अवस्थापना विकास हेतु वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की तृतीय किस्त की चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–694/V–श.वि.–06–212(सा.)/05 टी.सी. दिनांक 25.3.2006 तथा शासनादेश संख्या 547/IV–श0वि0–06–212(सा0)/05 टी.सी. दिनांक 17–12–2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, भवाली जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छः कार्यों हेतु हेतु रू0–317.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः रू0 156.61 लाख तथा रू0 80.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गई। कदाचित् निदेशालय स्तर से नगर पालिका परिषद, भवाली को रू0 204.72 लाख ही अवमुक्त हुआ है। इस क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भवाली के पत्र दिनांक 25–9–2008 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर पार्कों के सौन्दर्यकरण कार्य हेतु रू0 261.33 लाख के सापेक्ष कुल स्वीकृत धनराशि रू0 180.03 लाख के उपभोग होने तथा उक्त कार्यों के सापेक्ष प्राप्त न्यूनतम निविदा के आधार पर हुई बचत रू0 25.87 लाख के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 25–3–2006 के द्वारा स्वीकृत पार्कों के सौन्दर्यकरण आदि कार्यों के लिए अवमुक्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त इन कार्यों हेतु अवशेष धनराशि रू0 81.30 लाख के सापेक्ष बचतों की धनराशि रू0 25.87 लाख का समायोजन करते हुए अब **रू0 55.43 लाख (रूपये पचपन लाख तैतालिस हजार मात्र)** की धनराशि, जो व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1- उक्त धनराशि **रू0 55.43 लाख (रूपये पचपन लाख तैतालिस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर संबंधित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जो शासनादेश की शर्ते पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। उक्त धनराशि को आहरण के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासनादेश दिनांक 25–3–2006 के द्वारा अवमुक्त रू0 156.61 लाख के विपरीत केवल रू0 124.72 लाख की धनराशि का ही प्रथम किस्त के रूप में आहरण किया गया है। दोहरे आहरण का समस्त दायित्व निदेशक का ही माना जायेगा।

2- शासनादेश सं0–694/V–श.वि.–06–212(सा.)/05 टी.सी. दिनांक 25.3.2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4- सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

5- स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

6- स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये और उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

7- कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

8- निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

9- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 1026/XXVII(2)/2008, दिनांक- 18 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0-326 (1)/IV-श0वि0-09,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/नगर विकास मंत्री जी।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6- जिलाधिकारी, नैनीताल।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भवाली।
11- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।